


Form no. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर
जगदीश (फौत) जरिये श्यामादेवी आदि बनाम राजस्थान सरकार आदि
किस्म मुकदमा- अपील प्रकरण संख्या-79/2022 जीसीएमएस प्र0स0- 2022/79

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हए
26.11.2025	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलांट अनुपस्थित। वकील अपीलांट व अपीलांट को बार-बार आवाजे लगाई गई। परन्तु ना तो वकील अपीलांट हाजिर आये तथा ना ही अपीलांट स्वयं उपस्थित हुए। न्याय चाहने की तत्परता व कोशिश का अभाव पत्रावली चलाने में अरुचि जाहिर करती है। अतः अपील अपीलांट अदम पैरवी अदम हाजरी इसी स्तर पर खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख वापिस भिजवाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील तरतीब दाखिल दफतर हो।</p> <p>आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p> <p style="text-align: right;"> (दीनानाथ बब्ल) अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ (श्रीगंगानगर)</p>	

